दिनांक 29.07.2011को सम्पन्न झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद की 13 वीं बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न :–

आज दिनांक 29.07.2011 को झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद की 13 वीं बैठक श्री ए0 के0 सरकार, अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में निदेशक, भूतत्व, डॉ0 जय प्रकाश सिंह ने अपने स्वागत सम्बोधन में भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद की बैठक के औचित्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह बैठक वर्ष में दो बार आयोजित होती है, जिसमें झारखण्ड राज्य अर्न्तगत कार्य करने वाले सभी संस्थान किये गये कार्यों के ब्यौरे के साथ आने वाले सत्र के लिए अन्वेषण कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं।

निदेशक, भूतत्व द्वारा यह बताया गया कि झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद की 12वीं बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे जिसका अनुपालन निदेशालय द्वारा किया गया:–

(i) क्षेत्रीय सत्र वित्तीय वर्ष के अनुरूप किया जाना तथा (ii) खनिजवार अन्वेषण कार्यक्रम के क्रम में 80% संसाधन के साथ चूनापत्थर खनिज का अन्वेषण कोटगढ़ से चाईबासा तक शुरू किया जाना। इसी तरह JSAC के सहयोग से बॉक्साईट खनिज के अन्वेषण हेतु भी रिमोट सेन्सिंग के आधार पर Potential क्षेत्र को Delineate करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में 466.0 Sq.km क्षेत्र में बॉक्साईट होने का अनुमान है, जबकि अभी मात्र 64 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में ही खनन् पट्टा दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि झारखण्ड राज्य में प्रतिवर्ष 160 मिलियन टन खनिज का उत्पादन होता है, जिसका बाजार मूल्य 15 हजार करोड़ रूपया है। उन्होंनें यह भी बताया कि चूनापत्थर अन्वेषण में ग्रामीणों के विरोध एवं मारपीट के कारण अन्वेषण कार्य बन्द कर दिया गया है तथा कार्य शुरू करने हेतु प्रशासन के सहयोग से ग्रामसभा आयोजित करायी जा रही है। आशा है यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा। पूर्व के वर्ष में भी रामगढ़ क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ मारपीट के बाद अन्वेषण कार्य बन्द कर देना पड़ा था।

2. अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद श्री ए0 के0 सरकार द्वारा अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में बताया गया कि पहले जो भी कार्य हो चुके है एवं आगे जो कार्य किया जाना है, उसके सही ढंग से कार्यान्वयन हेतु एक योजना बनायी जानी चाहिए। रूकावट का सही रूप से विश्लेषण कर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
3. मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्य मंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि झारखण्ड राज्य पूरे भारत वर्ष में खनिज सम्पदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम्पूर्ण भारत वर्ष का 40% खनिज सम्पदा झारखण्ड राज्य में पाया जाता है। उन खनिजों के

अन्वेषण/आकलन में भूतत्व विभाग की भूमिका काफी अहम है। बिना सर्वेक्षण के खनन् असंभव है। Geology के सर्वेक्षण पर ही खान एवं खनिज आधारित उद्योगों की कार्य योजना बनाई जाती है।

अतः सभी खनिज का सही–सही आंकलन होना चाहिए। अत्एव आगामी अन्वेषण योजनाओं का कैसे कार्यान्वयन किया जाय, उस पर पर्षद के सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श करना होगा।

उन्होंने आगे सम्बोधन में कहा कि हमारे देश को खनिज सम्पदा से परिपूर्ण होने के कारण ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास हेतु अन्वेषण संस्थानों की भूमिका अहम है। जहाँ दूसरे राज्यों में झारखण्ड राज्य के खनिजों को ले जाकर उद्योग लगाये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर खनिज सम्पदा से परिपूर्ण होने का लाभ झारखण्ड राज्य को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। यह विषय चिन्तनीय है।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि खनिजों के High grade का उपयोग तो कर लिया जाता है जबकि Low grade part तथा अन्य खनन् अवशेष को Waste के रूप में छोड़ दिया जाता है जिससे आस–पास के खेती योग्य भूमि बंजर होती जा रही है।

अतः अब विकसित युग में Low grade खनिज उपयोग के बारे में भी सोचना होगा तथा Mining waste का भी प्रबंधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड राज्य में Uranium का उत्पादन होता है, लेकिन इसका उपयोग दूसरे राज्यों में होता है। परन्तु हानिकारक waste material को हमारे राज्य में दे दिया जाता है, यह स्थिति भयावह है। इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। Uranium काफी संवेदनशील पदार्थ है। ऐसा तो नहीं कि इसी तरह के अन्य waste material भी राज्य में है। इस संबंध में सभी विभागों को मिलाकर एक system या work chart बनाना होगा, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास हो तथा कुदरत या nature के साथ दुश्मनी न हो। राज्य की 3.5 करोड़ जनता को रोजगार मुहैया कराने के बारे में गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

खनन् क्षेत्र से होने वाली हानि के संदर्भ में भी चर्चा की गयी। उन्होंने वन/पर्यावरण को हानि न पहुँचाने का आग्रह किया तथा बढ़ते प्रदूषण पर भी उनके द्वारा चिन्ता जतायी गयी। उन्होंने बताया कि यदि खनन् से Demography तथा सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, तो वहां खनन् की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः खनन् क्षेत्र के लोगों को धूल मिट्टी तथा विस्थापन ही मिलती है। अतः राज्य की जनता के हित के बारे में भी सोचते हुए ही Mining का कार्य किया जाय। प्राकृतिक सम्पदा की रक्षा के लिए बने कानून का पालन सख्ती से होना चाहिए। भूतत्व विभाग को खनिज सम्पदा के Quality and quantity के अलावा सामुदायिक पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि खनन् का first step सर्वेक्षण ही है, परन्तु इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि Mines and Geology Department राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। जहां दूसरे राज्य विकास कर रहे हैं और हमारे राज्य की स्थिति काफी बुरी है। चिराग तले अंधेरा

नहीं होना चाहिए। मशीनों का प्रयोग कम करके ग्रामीणों को रोजगार देना चाहिए, जिससे खनन् के माध्यम से उनलोगों का सकारात्मक विकास हो।

4. निदेशक, भूतत्व द्वारा उप मुख्यमंत्रीजी तथा अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने का आश्वासन दिया एवं बताया गया कि देश में झारखण्ड राज्य ही पहला राज्य है, जहाँ Geology में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त युवाओं को खनिज अन्वेषण का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रतिमाह आठ हजार रूपया सरकार की ओर से दी जाती है। इस प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को माननीय उप मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रमाण पत्र (Certificate) वितरण किया गया।

5. बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

   (i) बैठक में 12वीं भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद की बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

   (ii) झारखण्ड राज्य में भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण से सिमडेगा जिले में Diamond तथा East Singhbhum जिले में Platinum Group के खनिज के विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण कराने का प्रस्ताव भेजा जायेगा।

   (iii) भूतत्व निदेशालय द्वारा चूनापत्थर के लिए पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर क्षेत्र (चाईबासा से कोटगढ़) में अन्वेषण कार्य ग्रामिणों द्वारा नहीं करने दिया जाएगा, तो वैकल्पिक क्षेत्र यथा रामगढ़, हजारीबाग एवं राँची जिले के उपलब्ध क्षेत्र में चूना पत्थर का Detailed Exploration किया जाएगा।

   (iv) सर्वश्री TVNL के अनुरोध पर राजवार कोल ब्लॉक में पानी की उपलब्धता/प्रबंधन पर Feasibility Report तैयार करने के लिए Geo-physical investigation क्षेत्र में एक माह के अन्दर कार्य कराये जायेगें। इसमें बाह्य संस्थान से Geo-physical अन्वेषण कराने की आवश्यकता होने पर TVNL सीधे राशि का भुगतान करेगी।

   (v) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम के अनुरोध पर Graphite एवं Granite खनिज का भूतात्विक अन्वेषण क्षेत्रीय सत्र 2012–13 में अग्रिम भुगतान की राशि प्राप्त कर की जायेगी।

   (vi) G.S.I. से प्राप्त 43 प्रतिवेदन के मानचित्र प्राप्त करने के लिए G.S.I. के द्वारा Payment एवं Undertaking के लिए पत्र दिया जायेगा।

   (vii) आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर विभिन्न विभागों की समिति बनाने के संबंध में M.E.C.L. के Zonal Manger द्वारा अगस्त महीने के बाद पूर्ण जानकारी दी जायेगी।

   (viii) बन्द पड़े खदानों से उपलब्ध जल का अध्ययन C.G.W.B. को पुनः Proposal भेजा जायेगा।

   (ix) Lease holder अपने क्षेत्र का Reserve UNFC Norms पर दें, ऐसी कार्रवाई खान निदेशालय के माध्यम कराई जायेगी।

36

(x) भूतत्व निदेशालय द्वारा 1:50,000 के पैमाने पर G.S.I. से प्राप्त Geological Map के आधार पर JSAC के सहयोग से जिलावार एवं पूरे राज्य का समेकित Geological मानचित्र तैयार किया जायेगा।

6. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वर्त्तमान सत्र में कराये जाने वाले अन्वेषण कार्यक्रम की रूप–रेखा पर चर्चा की गयी।

7. खान एवं भूतत्व विभाग के भूतत्व निदेशालय, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं ओ0एन0जी0सी0 के द्वारा अब तक सम्पादित खनिज अन्वेषण कार्य पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

श्रीमति कुमारी अंजलि, उप निदेशक, भूतत्व के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(ए०के० सरकार) 10.8.11
अपर मुख्य सचिव
सह अध्यक्ष झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद

ज्ञापांक :– भू0नि0अन्वे0– 32/2011 1388 राँची/दिनांक :– 12-8-2011

प्रतिलिपि :– अपर महानिदेशक, जी0एस0आई (ई0आर0) कोलकाता/उप महानिदेशक, जी0एस0आई (ई0आर0) कोलकाता/ निदेशक, सी0जी0डब्लू0बी0, नई दिल्ली/सर्वश्री एम0ई0सी0एल (ई0आर0)/सर्वश्री ओ0एन0जी0सी0/सर्वश्री सी0एम0पी0डी0आई0/विभागाध्यक्ष, भू–गर्भ शास्त्र, आई0एस0एम0, धनबाद/सभी उप निदेशक, भूतत्व/सभी उप निदेशक, वेधन/उप निदेशक, प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक, भूतत्व/सभी भूतत्ववेत्ता/सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/11

(डॉ0 जय प्रकाश सिंह)
निदेशक, भूतत्व–सह–सदस्य
सचिव
झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद

दिनांक 29.07.2011 को राँची में सम्पन्न ''झारखण्ड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पर्षद'' की 13वीं बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों की सूची :–

क्र0	नाम/पदनाम	प्रतिष्ठान का नाम
1	श्री हेमन्त सोरेन, माननीय उपमुख्य मंत्री–सह–विभागीय मंत्री, झारखण्ड, राँची	
2	डॉ0 प्रभाष पाण्डेय, अपर महानिरीक्षक	इर्स्टन रिजन, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता
3	डॉ0 श्री निवास मादाबूसी, उप महानिरीक्षक	इर्स्टन रिजन, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता
4	श्री आर0के0 प्रसाद, निदेशक	भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन झारखण्ड राँची।
5	श्री एस0के0 ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक	एम0ई0सी0एल0, ईस्टजोन, राँची
6	श्री चन्द्रमा मिश्रा, महाप्रबंधक निदेशक	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0
7	श्री प्रवीर कुमार, भूतत्ववेत्ता	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0
8	श्री विपीन बिहारी सिंह, निदेशक, खान	खान निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड, राँची।
9	श्री एस0एल0एस0 जागेश्वर, निदेशक	भूगर्भ जल निदेशालय, राँची।
10	डॉ0 बी0 सी0 सरकार, विभागाध्यक्ष, भूगर्भ शास्त्र	भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद।
11	श्री ए0 नन्दी, डी0सी0ओ0एम0 एण्ड ओ0आई0सी0	भारतीय खान व्यूरों, राँची।
12	श्री एस0आर0 किस्कू, निदेशक	भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, परिचालन झारखण्ड राँची।
13	श्री आर0ए0 कुजूर, वरीय हाइड्रो जियोलॉजिस्ट	केन्द्रीय भू–जल पर्षद, राँची।
14	श्री दिलीप चक्रवर्ती, चिफ जियोलॉजिस्ट	ओ0एन0जी0सी0 बोकारो।
15	श्री संजय कुमार चौधरी, सहायक प्रबंधक	एन0एम0डी0सी0, हैदराबाद।
16	श्री पंकज कुमार, वरीय भूतत्ववेत्ता	जी0एस0आई0, अशोक नगर, राँची।
17	श्री बी0बी0 लाल, खनन् अभियंता	मेसर्स ए0सी0सी0
18	श्री बी0के0 सिंह, ए0एम0जी0	भारतीय खान व्यूरों, राँची।
19	श्री भी0 एन0 बैठा, अपर निदेशक, खान	खान निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड, राँची।
20	श्रीमती कुमारी अंजलि, उप निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।

21	श्री निर्मल कुमार सिंह, उप निदशक, वेधन	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
22	श्री शरद कुमार सिन्हा, उप निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
23	श्री आशुतोष प्रसाद, उप निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
24	श्री गणेश प्रसाद भावसिंका, उप निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
25	श्री संतोष कुमार सिंह, सहायक निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
26	श्री अनुज कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
27	श्री अशोक कुमार तिवारी, सहायक निदेशक, भूतत्व	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
28	श्री आई0एम0 असदुल्लाह, उप निदेशक, प्रयोगशाला	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
29	श्री अरूण कुमार, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
30	श्री एम0 पी0 शर्मा, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
31	श्री एच0एन0 कुण्डू, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
32	श्री कुमार अमिताभ, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
33	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।
34	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, भूतत्ववेत्ता	भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग, राँची।